Mahrishi College of Education

www.mcedu.in
mcedu@chgc.in

7080104629, 8853188888, 9517013322

College Address
Bharwari, Kaushambi-212201 (U.P.) INDIA

Head Office
220K-1/A, Meerapati, Dhoomanganj
Prayagraj-211011 (U.P.) INDIA
9517015577

College Code : 03045

(Affiliated by : Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj)

Ref. No.- MCED/2024/930

Date - 12/01/2024

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023–24 दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 में मूल निवास करने वाले छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु संशोधित समयसरिणी के अनुसार आवेदन पत्र आनलाइन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करें। समय सारिणि निम्नवत है:–

1-Registration एवं Form आवेदन करने कि अन्तिम तिथि– 18 जनवरी 2024

2.–छात्रों द्वारा त्रुटि फार्म सुधार हेतु आवेदन की तिथि-- 12 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक

3– हार्ड कापी शिक्षण संस्थान में जमा करने कि अन्तिम तिथि:– 22 जनवरी 2024 तक

नोट– महाविद्यालय मे 22 जनवरी 2024 तक छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र समय 03:30 बजे तक जमा किया जायेगा। यदि इस तिथि तक छात्र/छात्राये आवेदन पत्र नही जमा करते है तो इसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेंदार होगें।

सलग्नक:– शासन द्वारा प्रेषित संशोधित समय सारिणी की छायाप्रति

Important notice

All the students of the college are informed that the students residing in Uttar Pradesh studying in the financial year/ academic session 2023-24 after 10th classes should complete the process of filling the application form online as per the revised timetable for scholarship and fee reimbursement. . The time table is as follows-

1- Last date for registration and form application is 18 January 2024.

2- Date of application by students for error form correction – 12 February 2024 to 15 February 2024.

3- Last date for submission of hard copy to the educational institution – 22 January 2024.

Note- The application form for scholarship and fee reimbursement will be submitted in the college till 22 January 2024 Time- 03:30. If the students do not submit the application form by this date then the students themselves will be responsible for it.

Attachment - Photocopy of the revised timetable sent by the government.

Principal
Mahrishi College of Education
Kaushambi

I/469626/2024

संख्या- 10 /2024/ 147/26-3-2024/C.N.- 1741061

प्रेषक,

राज कुमार झा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

AO
कृ० NIC/ALL DD/DSWO
व अन्य को कार्यवाही हेतु
प्रेषित करें।
11.1.2024
(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4317/स0क0/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 10.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-106/2023/4035/26-3-2023/C.No-1741061 दिनांक 18.12.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों (शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में केवल सामान्य वर्ग के छात्र) में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही आदि हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है। शासनादेश दिनांक 18-12-2023 के अनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10-01-2024 निर्धारित थी, किन्तु उक्त निर्धारित तिथि के अन्तर्गत कतिपय छात्र आनलाइन आवेदन नहीं कर पाये हैं।

3- उक्त के क्रम में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2023-24 में सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	संशोधित समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	**शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने	12 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक

	के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	16 जनवरी, 2024 तक
3	**जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	17 जनवरी, 2024 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया	
4	**छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	18 जनवरी 2024 तक
5	**छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में** छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	21 जनवरी, 2024 तक
6	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	22 जनवरी, 2024 तक
7	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	23 जनवरी, 2024 तक
8	**नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन** छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय	20 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक

	अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	
9	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	24 जनवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक
10	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	24 जनवरी 2024 से 09 फरवरी 2024 तक
11	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 फरवरी 2024 से 12 मार्च 2024 तक
12	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना।	12 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक
13	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	17 फरवरी 2024 तक
14	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	19 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 तक
15	**जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 मार्च, 2024 तक

16	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	17 मार्च 2024 तक
17	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	22 मार्च 2024 तक

नोट- शासनादेश संख्या-106/2023/4035/26-03-2023 दिनांक 18-12-2023 द्वारा जारी पूर्व समय-सारिणी में उल्लिखित नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by राज कुमार(झा)
(राज कुमार झा)
Date: 11-01-2024 18:43:58
अनु सचिव।
Reason: Approved

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राज कुमार झा)
अनु सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– C-4336/स0क0/शिक्षा–अ/7/597/2023–24

लखनऊः दिनांकः 11 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।

2– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3

3– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

8– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 11–01–2024 द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय–सारिणी संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद में स्थित सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित समस्त केन्द्रीय/राज्य/निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, आटोनॉमस राजकीय शिक्षण संस्थान, समस्त निजी शिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों, नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों में व पैम्पलेट के माध्यम से समय सारिणी में उल्लिखित तिथियों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा समय–सारिणी की प्रति सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समुचित कार्यवाही हेतु बैठक भी आयोजित करायें।

11.1.2024

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक
कृते निदेशक